दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों की संख्या

564. **श्री कृष्णचन्द्र पाण्डे :**
श्री राम प्यारे पनिका :
श्री सज्जन कुमार :
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1 जुलाई, 1982 के दिन अनधिकृत कालोनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान नियमित की जाने वाली कालोनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन कालोनियों के बारे में सरकार की क्या नीति है जो नियमित नहीं है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग). गांवों के लाल डोरा के चारों ओर अनधिकृत कालोनियों सहित दिल्ली में बनी अनधिकृत कालोनियां सरकारी नीति के अनुसार नियमित की जाएंगी जिनके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम ने 612 कालोनियों की अनुलग्नक के अनुसार एक सूची तैयार की है जिनमें 30-6-77 तथा 16-2-77 तक बनाई गई क्रमशः रिहायशी और वाणिज्यिक संरचनाएं शामिल हैं। **[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-4221/82]**

अनधिकृत कालोनियों की कोई दूसरी सूची नहीं बनाई गई है। 1982-83 के दौरान नियमित की जाने वाली कालोनियों के ब्यौरे भी अलग से तैयार नही किए गए हैं।

रोहिणी स्कीम के अन्तर्गत प्लाटों का आबंटन

565. **श्री कृष्णचन्द्र पाण्डे:**
श्री सज्जन कुमार :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक लोगों ने दिल्ली में रोहिणी स्कीम के अन्तर्गत प्लाटों के लिए अपने अपने नाम पंजीकृत कराए हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें प्लाटों का आबंटन कब तक कर दिया जाएगा ; और

(ग) रोहिणी काम्प्लेक्स के विकास के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

संसदीय कार्य तथा विभाग और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्लाटों का आबंटन 5 वर्षों की अवधि के दौरान चरणों में किया जाना है। विभिन्न वर्गों में प्लाटों की प्रथम किस्त को शीघ्र ही रिलीज किए जाने की सम्भावना है।

(ग) सेवाओं के प्रावधान के लिए विकास गतिविधियों को विकास के प्रथम चरण में आरम्भ किया जा रहा है।

मोती नगर में दूध की सप्लाई

566. **श्री कृष्णचन्द्र पाण्डे :**
श्री सज्जन कुमार :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोतीनगर में डी. एम. एस. के बूथ नम्बर 1205 में दूध के केवल 24 क्रेट की सप्लाई की जाती है और वह भी गैर-सरकारी सप्लाई कर्ताओं को जिसके परिणामस्वरूप लोगों को भारी कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उन गैर-सरकारी सप्लायरों को दूध सप्लाई किये जाने के क्या कारण है और उन्हें कितना दूध सप्लाई किया जा रहा है ; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को दूध की किल्लत न हो और गैर-सरकारी सप्लायरों को वहां से दूध न दिया जाए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा मोतीनगर दुग्ध डिपो संख्या 1205 को दूध की 24 क्रेट सप्लाई की जाती है। तथा "पहले आए, पहले पाए" आधार पर उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण मात्रा सप्लाई की जाती है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को दृष्टि में रख कर प्रश्न ही नहीं होता।